राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

विषय : ऑडिट समिति की बैठकें निर्धारित समयावधि में आयोजित कराने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक प.5(20)प्र.सु./अनु.–3/86 दिनांक 31–1–1995, 19–9–1995, 4–6–1997, 10–5–2010, 18–4–2012, 9–1–2013, 23–1–2014, 17–5–2016, 10–1–2017 एंव 02–02–2018 के माध्यम से राज्य सरकार ने विभागों एवं नियंत्रणाधीन बोर्ड/निगम से संबंधित महालेखाकार के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन, अंकेक्षण आपत्तियाँ (ओ.बी.आइटम्स), तथ्यात्मक विवरण/ड्राफ्ट पैराज, सीएजी प्रतिवेदनों के अनुच्छेद, जनलेखा समिति की सिफारिशें, गबन/दुर्विनियोजन, चोरी, हानि आदि प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही किये जाने तथा बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों एवं डी.सी. बिलों की समीक्षा/शीघ्र निस्तारण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने एवं अन्य अपेक्षित कार्यवाही की शासन के उच्च स्तर पर समीक्षा किए जाने हेतु संबंधित प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में ऑडिट समितियों का गठन किया गया था।

वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र–1/2005 दिनांक 18–1–2005 के द्वारा अनुरोध किया गया था कि मुख्य सचिव महोदय की प्रधान महालेखाकार के साथ बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में ऑडिट समितियों की वर्ष में चार बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित की जानी आवश्यक है।

विभागों द्वारा निर्धारित संख्या में ऑडिट समिति की बैठकें आयोजित नहीं किये जाने का सी.ए.जी. प्रतिवेदनों में भी उल्लेख किया जाता है तथा इस संबंध में जन लेखा समिति द्वारा ऑडिट समिति की निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित नहीं कराने को गंभीरता से लिया जाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सम्बन्धित विभागों द्वारा ऑडिट समिति की बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित की जावे। ऑडिट समिति की प्रथम बैठक माह जून तक, द्वितीय बैठक सितम्बर तक, तृतिय बैठक दिसम्बर तक एवं चतुर्थ बैठक माह मार्च तक आवश्यक रूप से आयोजित कर ली जावे। वित्त विभाग द्वारा पूर्व में भी समय–समय पर सभी प्रशासनिक सचिवगणों को पत्र जारी कर ऑडिट समितियों की बैठकें निर्धारित संख्या में आयोजित कराने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है।

अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में ऑडिट समिति की बैठकें निर्धारित समयावधि में निर्धारित संख्या में (त्रैमासिक) आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

VG 22/4
(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा. टीप क्रमांक : प.13(116)वित्त/अंकेक्षण/91
जयपुर, दिनांक : 23-04-2026